अनुमंडल कार्यालय, सुपौल
(स्थापना शाखा)
अल्पकालीन सूचना प्रकाशन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पत्रांक 138 दिनांक 02.02.2021 एवं पत्रांक 1349 दिनांक 25.06.2024 के आलोक में पंचम चरण एवं यथा संशोधित के अनुरूप विकास मित्र के रिक्त पद पर नियोजन हेतु नगर परिषद वार्ड नं0 16 स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है।

1. <u>रिक्ति की विवरणी निम्नवत है</u> –

क्र०	नगर परिषद का नाम	वार्ड संख्या	जाति बहुलता	कोटि	रिक्त पदो की संख्या	अभ्युक्ति
1	सुपौल	16	मुसहर	अन्य (पुरूष एवं महिला दोनों)	01	

2. <u>चयन हेतु अर्हता</u> –

(i) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे।

(ii) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(iii) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।

(iv) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है –

(1) नन–मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवीं पास (4) सातवी पास, (5) छठ्ठा पास, (6) पाँचवीं पास। सर्वप्रथम नन–मैट्रिक, उसके पश्चात् नौवीं पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जाएगा। बशर्ते ये अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जाएगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे– वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जाएगा। अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्व–विवेक से आवेदक का चयन करेंगे। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) एवं यथा संशोधित के आधार पर किया जाएगा।

(V) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।

(Vi) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

(Vii) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. <u>आयु सीमा</u> –

आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

4. <u>जाति बहुलता</u> –

जाति पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत/वार्ड से ही किया जाएगा।

5. <u>नियोजन की अवधि</u> –

विकास मित्र का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।

6. <u>विकास मित्र नियोजन की प्रक्रिया निम्नरूपेण तिथिवार संचालित होनी है</u> –

क्र०	गतिविधि	अवधि
1	2	3
1	नगर परिषद, सुपौल में आवेदन प्राप्त करना	07.04.2025 से 22.04.2025
2	औपबंधिक मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन	30.04.2025
3	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	30.04.2025 से 07.05.2025
4	चयन सूची का प्रकाशन	13.05.2025
5	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	22.05.2025

7. <u>मानदेय</u>–

मानदेय का भुगतान बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप विकास मित्र को किया जाएगा।

<u>नोट</u> – (1) आवेदन पत्र महादलित मिशन के वेबसाईट www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय, सुपौल एवं नगर परिषद कार्यालय, सुपौल में भी उपलब्ध है।

(2) आवेदन पत्र नगर परिषद कार्यालय, सुपौल में दिनांक 07.04.2025 से 22.04.2025 तक (कार्यदिवस) के 10.00 बजे पूर्वा० से 05.00 बजे अप० तक जमा किया जा सकता है।

18.03.2025

अनुमंडल पदाधिकारी,
सुपौल।